न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 03/2023

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1 भूराराम पुत्र धुलाराम 2 गंगाराम पुत्र धुलाराम 3 डूंगरराम पुत्र धुलाराम 4 ताराचंद पुत्र धुलाराम जातियान माली निवासीगण आकाशवाणी के पास, बासनी रोड, नागौर तहसील व जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश हैडा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 06.08.2025

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा मौजा नागौर से संबंधित आदेश प्रकरण संख्या 06(ए)/2021 सरकार बनाम भूराराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.09.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 15.09.2022 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन तहसीलदार नागौर के प्रकरण संख्या 06(ए)/2021 की पत्रावली की फोटोप्रति, न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 52/2020 की फोटोप्रति, धुलाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट्स व उसके अधिवक्ता को आलौच्य आदेश पारित किये जाने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई थी एवं अपीलांट्स की अनुपस्थिति में उनको बिना सुने ही आलौच्य निर्णय पारित किया हैं, जिसकी कोई जानकारी अपीलांट्स को नहीं थी, मौके पर दिनांक 06.09.2022 को तहसील के कर्मचारी अपीलांट्स को कब्जा हटाने के लिए कहा तब अपीलांट्स ने उनको आदेश संबंध में पूछा तो उन्होने तहसीलदार के आदेश के बारे में बताया, तब अपीलांट्स ने उसी दिन आवेदन पेश करके नकले दिनांक 07.09.2022 को प्राप्त की, जिसके विहित समय के भीतर नकले दिनांक 07.09.2022 को प्राप्त की, जिसके विहित समय के भीतर उक्त अपील पेश की गई, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अपीलांट्स की अपील जो कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में की गई है, वो धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या करके अपीलांट्स के खिलाफ आदेश पारित किया है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील पारित करते समय अपीलांट्स/अप्रार्थीगण व उसके अधिवक्ता को बिना सूचित किये एवं अपीलांट्स व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में ही बिना बहस सुने ही निर्णय जेर अपील पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से इस आधार पर टिनेबल नहीं रहता।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील पारित करते समय धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को सही प्रकार से व्याख्या नहीं की है। जिससे भी निर्णय जेर अपील पोषणीय ही नहीं है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय में पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 312 रकबा 0.18 बीघा पर संवत 2078 में मकानात, चारदीवारी, दुकान, बाड कांटो की लगाकर अनाधिकृत कब्जा करने के तथ्यों को माना हैं, जबकि पटवारी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में किसी भी प्रकार की साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी प्रस्तुत कर उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित नहीं करवाया हैं, जबकि अपीलांट्स ने उक्त वर्णित तथ्यो को अपने जवाब में उल्लेखित करते हुए वास्तविक स्थिति में

06/8/25

अपर कलक्टर, नागौर

अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवा दिया था, तो ऐसी स्थिति में संवत 2078 में मकानात, चारदीवारी, दुकान, बाड कांटों की लगाकर अनाधिकृत कब्जा करने के तथ्य किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं होते हुए भी उनको प्रमाणित मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यात्मक भूल की हैं, जिससे निर्णय जेर अपील मेन्टेनेबल ही नहीं रहने से काबिल खारिज होने योग्य है।

{2}(V)–हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स के द्वारा धारा 10 सीपीसी का एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उक्त भूमि से संबंधित पूर्व में विचाराधीन प्रकरण संख्या 56/2016 के साथ कंसोलिडेटेड करने के लिए निवेदन किया। उपरोक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय ने न तो निस्तारित किया और न ही उपरोक्त आवेदन के संबंध में अपीलांट्स को किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान किया। चूंकि उक्त आवेदन के संबंध में न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक था एवं तत्पश्चात भी अंतिम बहस दोनो पक्षों की सुनी जाकर विधिवत निर्णय पारित किया जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए निर्णय जेर अपील पारित किया है जो इस आधार पर विधितः दूषित होने से चलने काबिल नहीं है।

{2}(VI)–अपीलांट्स के द्वारा खसरा नम्बर 312 मौजा नागौर की भूमि पर किसी भी प्रकार से मकानात, चारदीवारी, दुकान, बाड कांटो की लगाकर के रूप में संवत 2078 में अतिक्रमण नहीं किया हैं, बल्कि अपीलांट्स का कब्जा पुराना चला आ रहा है तथा मौके पर वर्षों पुराने रहवासी मकान अपीलांट्स के पिता के समय से बने हुए है। जिस पर वर्ष 1975 से शांतिपूर्वक एवं निर्बाध रूप से अपीलांट्स के पिता व अपीलांट्स निवास करते आ रहे है। पूर्व में भी अपीलांट्स के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 678 दिनांक 06.08.1984 व प्रकरण संख्या 55/2010 दिनांक 13.01.2011 को जारी किया, जिससे न्यायालय के द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 19.08.11 को अपीलांट्स के पिता के विरूद्व गलत प्रकार से आदेश पारित किया था, जिसके पश्चात दिनांक 09.03.2016 को प्रकरण संख्या 56/2016 के तहत अपीलांट्स के पिता के विरूद्व नोटिस जारी किया। जिसका जवाब दिया जा चुका है। उपरोक्त स्थिति को नजरअंदाजी करते हुए हस्तगत प्रकरण में आलौच्य आदेश पारित किया है।

{2}(VII)–उपरोक्त खसरा नम्बर 312 मौजा नागौर में मौके पर अन्य लोगो के रहवासी मकान बने हुए है एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा उपरोक्त खसरे में से पटटे भी जारी कर रखे हैं। अपीलांट्स के निवास के पास आकाशवाणी केन्द्र व अन्य कई निर्माण मंदिर, पार्क आदि बने हुए है तो ऐसी स्थिति में केवल मात्र अपीलांट्स के विरूद्व ही उपरोक्त कार्यवाही किया जाना दर्शित करता है कि केवल मात्र अदावती रखने वाले लोगो के द्वारा अपीलांट्स के परिवार को तंग परेशान करने की नियत से यह कार्यवाही करवाई हैं, जबकि संवत 2078 मे अपीलांट्स के द्वारा आवेदन में वर्णित किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया और न ही ऐसा अतिक्रमण किया जाना साबित व प्रमाणित था तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए जो आलौच्य आदेश पारित किया हैं, वो इस आधार पर खारिज किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

{3}–रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा नागौर की गै. मु. अंगौर की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर उक्त कार्यवाही की है, जो सही एवं उचित होने से तहसीलदार नागौर द्वारा पारित आदेश यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा मौजा नागौर से संबंधित आदेश प्रकरण संख्या 06(ए)/2021 सरकार बनाम भूराराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2022 से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पटवारी हल्का नागौर की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर की गैर मुमकिन अंगोर पर अपीलांट्स का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट्स का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन अंगौर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/8/22

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर